

मध्यप्रदेश विधान सभा



अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 7 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 16, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएँ :-

- (1) क्रमांक-1740-मप्रविनिआ -2006, दिनांक 12 जुलाई, 2006,
- (2) क्रमांक-1907 - मप्रविनिआ -2006, दिनांक 28 जुलाई, 2006,
- (3) क्रमांक-2012-मप्रविनिआ -2006, दिनांक 11 अगस्त, 2006,
- (4) क्रमांक-2377-मप्रविनिआ -2006, दिनांक 25 सितम्बर, 2006,
- (5) क्रमांक-1975 / मप्रविनिआ / 06, दिनांक 5 अगस्त, 2006,
- (6) क्रमांक/2075-मप्रविनिआ /06, दिनांक 22 अगस्त, 2006,
- (7) क्रमांक-2187-मप्रविनिआ -2006, दिनांक 1 सितम्बर, 2006,
- (8) क्रमांक-2305 /विनिआ /2006, दिनांक 18 सितम्बर, 2006 ; तथा
- (9) क्रमांक-2306-मप्रविनिआ -2006, दिनांक 18 सितम्बर, 2006,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, आरिफ अकाल, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम सायर में दलितों की भूमि पर बन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किये जाने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सर्वश्री रामनिवास रावत, राजेश पटेल, सदस्य, प्रदेश के कृषकों को खाद एवं बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना नगर में लूट एवं हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्रीमती अलका जैन, सदस्य, कटनी जिला समन्वयक शिक्षा मिशन एवं जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर अपात्र व्यक्ति की पदस्थापना किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 156, कुरवाई से निर्वाचित सदस्य श्री श्यामलाल पंथी को विधान सभा के अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 221, सैलाना से निर्वाचित सदस्य, श्री प्रभुदयाल गेहलोत को विधान सभा के अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. कमलापत आर्य, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का नवम्, दशम् एकादश एवं द्वादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, मुरैना जिले के -

- (क) उप तहसील पहाड़गढ़ को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाये जाने,
- (ख) पहाड़गढ़ नगर में महाविद्यालय खोले जाने,
- (ग) ग्राम थोंधा व कन्हार स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
- (घ) ग्राम बरेड़ स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा
- (ड) ग्राम चिन्नौनी करैरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा नगर में उर्दू माध्यम का हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के हनुमना तहसील मुख्यालय में सिविल न्यायालय खोले जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 31 अक्टूबर 2006 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 326) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

निर्धारित

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

समय

2 घन्टे

(1) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

1 घन्टा

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 24 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा

(1) प्रदेश में अतिवृष्टि एवं अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अश्विन जोशी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, इन्द्रजीत कुमार, रामनिवास रावत, रामलखन शर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

30 मि

(2) प्रदेश में चिकुनगुनिया, मलेरिया, पीलिया, डेंगू बुखार आदि संक्रामक बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री मनमोहन शाह बट्टी, आरिफ अकील, सुखदेव पांसे, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

1 घन्टा
30 मि.
भोपाल :
दिनांक 6 नवम्बर, 2006

डॉ. ए.के. पवार
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।